आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

30/12/16

आदेश

ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 127/15–16 प्रीतिलता हेम्ब्रम बनाम् सरकार का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 145 दिनांक– 22.02.2016 के विरूद्व दायर किया गया है।

अपीलार्थी परियोजना बेलहर के आंगनबाड़ी केन्द्र बसमत्ता केन्द्र सं0–21 की सेविका थी जिन्हें दिनांक–25.11.2015 को केन्द्र निरीक्षण में बच्चों की कम उपस्थिति पाये जाने के आरोप में चयनमुक्त किया गया है। अपील आवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बांका से प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दिनांक–25. 11.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं 08 बच्चों की उपस्थिति बताया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया।

आगे पक्ष रखा गया कि सेविका जांच तिथि को सरकारी निर्देश के आलोक में पल्स पोलियो भ्रमण टीम में काम पर थी। केन्द्र पर पोषाहार बनाया गया था। सेविका व सहायिका का समान रूप से दायित्व बनता है। सहायिका से भी स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए था। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र क्षेत्र का अंतिम स्थल है तथा घर से दूर और खुली जगह पर रहने से केन्द्र पर सभी पंजी को रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है। सरकारी कार्य में कार्यरत रहने की स्थिति में केन्द्र पर उपस्थित नहीं थी फलस्वरूप सरकारी निदेशानुसार अधिकतम नहीं न्यूनतम कार्रवाई अपेक्षित था।

उपर्युक्त तथ्यों को रखते हुए कठोर दण्ड से मुक्त करने की प्रार्थना की गई।

बहस के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजातों की जांच की गई।

अपीलार्थी ने अपने कथन के समर्थन में पल्स पोलियो टीम की आशा कार्यकर्त्ता तथा सुपरवाईजर द्वारा दिनांक–26.02.2016 को निर्गत प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति प्रस्तुत किया है जिसमें यह तथ्य अंकित है कि दिनांक–25.11.2015 को सेविका श्रीमति प्रीतिलता हेम्ब्रम पल्स पोलियो टीम सं0–42 में मोबलाईजर के रूप में सुबह 8 बजे से 12.30 बजे तक कार्य कर रही थी फलस्वरूप ज्ञात होता है कि निरीक्षण तिथि 25.11.2015 को सेविका पल्स पोलियो कार्यक्रम में दायित्व का निर्वाहन कर रही थी।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन में यह तथ्य भी अंकित है कि अभिभावक लोग धान कटनी के लिए गॉव से बाहर चले गये है और बच्चों को भी साथ में लेकर गये है इसलिए बच्चे कम थे।

उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत कर विचारोपरांत अपीलार्थी को एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना यथोचित प्रतीत होता है फलस्वरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–145 दिनांक–22.02.2016 को निरस्त कर अपीलार्थी की सेवा पुर्नबहाल करने का आदेश दिया जाता है। सेविका अपने कर्त्तव्यों के प्रति आगे से सतर्क व सचेष्ट रहे अन्यथा चयनमुक्ति की बाध्यता होगी। अपीलार्थी को मानदेय का भुगतान योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

30.12.16

जिला पदाधिकारी,
बांका।

30.12.16

जिला पदाधिकारी,
बांका।